फा.सं. 1704813/1/2022-मा. (समन्वय) (ई-21449)
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

चंद्रलोक बिल्डिंग
ग्राउंड फ्लोर, 36, जनपथ, नई दिल्ली
दिनांक 08 अप्रैल, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः मत्स्यपालन विभाग द्वारा मार्च, 2024 माह के दौरान किए गए प्रमुख गतिविधियों और महत्वपूर्ण निर्णयों का मासिक सार मंत्रिमंडल सचिवालय को परिचालित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 19 अगस्त, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/26/1/2018-कैब का संदर्भ लेने और मार्च, 2024 माह के लिए मत्स्यपालन विभाग का मासिक सारांश परिचालित करने का निदेश हुआ है जिसमें की गई प्रमुख गतिविधियां,महत्वपूर्ण निर्णय और मंत्रिमंडल समिति/ समितियों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध में प्रगति सूचनार्थ संलग्न है।

यथोक्त: संलग्नक

(डॉ. एंसी मैथ्यू एनपी)
सहायक आयुक्त (मा॰)

प्रति
मंत्रिमंडल के सभी सदस्य

प्रतिलिपि

1. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110001 (ध्यानार्थ: श्री भास्कर दासगुप्ता, निदेशक)
2. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव
3. राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
4. उप-राष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली
5. प्रेस सूचना अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
7. सलाहकार, कृषि कार्यक्षेत्र, नीति आयोग, नीति भवन, नई दिल्ली

सूचना के लिए प्रतिलिपि:

1. माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के निजी सचिव
2. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के लिए माननीय राज्य मंत्री के निजी सचिव
3. सचिव, मात्स्यिकी के प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के प्रधान निजी सचिव
5. मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिवों के प्रधान निजी सचिव
6. एनआईसी, मत्स्यपालन विभाग के तकनीकी निदेशक को विभाग की वेबसाइट पर संलग्न दस्तावेज अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में मार्च, 2024 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय एवं प्रमुख उपलब्धियां

1. माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रूपाला ने 15 मार्च, 2024 को राजकोट, गुजरात में सागर परिक्रमा कार्यक्रम पर पुस्तक और वीडियो का शुभारंभ किया । श्री मोहनभाई कुंडरिया, संसद सदस्य, लोकसभा और श्री रामभाई मोकारिया, संसद सदस्य, राज्यसभा और अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

2. सचिव, मत्स्यपालन विभाग ने 04 मार्च, 2024 को श्रम, वस्त्र और कौशल विकास पर स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया जिसका विषय- 'गिग (अस्थायी श्रमिक)/योजना श्रमिकों और मछुआरों सहित असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय' था ।

3. सचिव, मत्स्यपालन विभाग ने 05 मार्च, 2024 को एनएएसी परिसर, नई दिल्ली में नेटवर्क ऑफ एक्वाकल्चर सेन्टेर्स इन एशिया पैसिफिक (एनएसीए) की 33वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया ।

4. सचिव, मत्स्यपालन विभाग ने 05 मार्च, 2024 को प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के बीच अभिसरण के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के साथ एक बैठक की सह-अध्यक्षता की ।

5. सचिव, मत्स्यपालन विभाग ने 12 मार्च 2024 को हैदराबाद में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की गतिविधियों जैसे कि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा कार्यान्वित योजनाएं और मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संगठनों में कार्यान्वित संबंधित परियोजनाएं की समीक्षा की।

6. सचिव, मत्स्यपालन विभाग ने 20 मार्च, 2024 को स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हारबर्स, विश्व स्तरीय फिश मार्केट्स और मत्स्य उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर्स जैसे अत्याधुनिक फिशरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बैठकों की अध्यक्षता की ।

7. 4 मार्च 2024 को संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी) ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक में भाग लिया जिसमें श्री जोसेफ रैगोले (नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में यूएसडीए-एपीएचआईएस कार्यालय के क्षेत्र निदेशक), डॉ. एलिशिया मार्स्टन (एपीएचआईएस एक्वाटिक ट्रेड डायरेक्टर और डब्लूओएएच एक्वाटिक फोकल प्वाइंट फॉर यूएस), डॉ. ब्रैंडेन नेटल्स (एग्रीकल्चर अताशे),और डॉ. लॉरिन हैरिस (एक्यूयाटिक एनिमल हेल्थ स्टाफ ऑफिसर फॉर लाईव एक्वाटिक एनिमल एक्स्पोर्ट्स टु इंडिया) शामिल थे । बैठक के दौरान एक्वाटिक एनिमेल हेल्थ में सुधार, इम्पोर्ट रेग्युलेशन्स और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों जैसे आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की गई ।

8. संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी) ने 06 मार्च, 2024 को भारत में ब्राजील के दूतावास के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया और मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों के आयात नियमों के साथ-साथ एकूयाकल्चर और प्रकृतिक रूप से पकड़ी गई मछलियों और मात्स्यिकी उत्पादों के लिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों पर चर्चा की ।

9. संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) ने बे ऑफ बेंगाल की पहल मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनोमिक को-ओपेरेशन (बीआईएमएसटीईसी) एक्सपेर्ट ग्रुप ऑन फिशरीज़ एंड लाईवस्टॉक की प्रथम बैठक में 12 मार्च, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया ।

10. संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी) ने 13 मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के फ़र्स्ट सेक्रेटरी (कृषि) डॉ. रिचर्ड नियाल के साथ एक बैठक में भाग लिया और एकूयाटिक एनिमल हेल्थ में सुधार और एक्वा-प्लान: एकूयाटिक एनिमल हेल्थ मेनेजमेंट स्ट्रेटेजी के आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की।

11. संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) ने 19 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय सी वीड एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस - इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स में भाग लिया है।

12. संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) ने 20-21 मार्च, 2024 के दौरान चेन्नई, तमिलनाडु में वर्कशॉप फॉर प्लानिंग बे ऑफ बेंगाल लार्ज मरीन इकोसिस्टेम (बीओबीएलएमई) फेस – II प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया पर राष्ट्रीय सलाहकार कार्यशाला में भाग लिया।

13. संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) ने 22 मार्च, 2024 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) में आयोजित ब्लू इकोनॉमी पाथवे रिपोर्ट पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय-विश्व बैंक की संयुक्त कार्यशाला में भाग लिया है।

14. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा सभी पात्र मछुआरों और मत्स्य किसानों को प्रदान करने के लिए,15 मार्च 2024 को, मत्स्यपालन विभाग ने मत्स्यपालन विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और तीन प्रमुख बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जन समर्थ पोर्टल के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मात्स्यिकी योजना के एकीकरण का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया, यह एकीकरण केसीसी मात्स्यिकी आवेदन प्रणाली के डिजिटलीकरण में एक महत्वपूर्ण माईलस्टोन है ।

15. उप निदेशक (जलीय संगरोध) ने 4-8 मार्च 2024 के दौरान हनोई, वियतनाम में आयोजित रेगलिटर इंसेप्शन मीटिंग और ग्लोलिटर एशिया रीजनल टास्क फोर्स कार्यशाला में भाग लिया ।

16. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) ने मुख्य कार्यपालक (प्रभारी), एनएफडीबी की अध्यक्षता में केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना (एएपी) - 2023-24 के अतिरिक्त प्रस्तावों पर कुल 468.02 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर तीन परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठकें आयोजित की।

17. एनएफडीबी ने मार्च, 2024 के दौरान क्रमशः 2,400 और 27,805 व्यक्तियों को कवर करते हुए 10 प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियाँ और 69 आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित की।

18. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) के दो मत्स्यन जहाजों (फिशिंग वेससेल्स) ने माह के दौरान भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में और उसके आसपास मात्स्यिकी संसाधनों और समुद्री स्तनपायी सर्वेक्षण कार्यक्रम (मरीन मैमल सर्वे प्रोग्राम) के लिए खोजपूर्ण सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

19. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) नियम, 2024 के नियम 3 के तहत, इस विभाग ने 16 मार्च, 2024 को सात दिशानिर्देश अधिसूचित किए थे। (क) तटीय जल कृषि को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश; (ख) विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त लिटोपेनियस वन्नामेई के बीज उत्पादन और कल्चर के लिए हैचरी और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश; (ग) विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त पेनियस मोनोडोन के बीज उत्पादन और पालन के लिए दिशानिर्देश; (घ) भारत में तटीय जल कृषि इकाइयों और स्टॉक के स्वास्थ्य निगरानी, रोग निगरानी और विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त प्रमाणीकरण के लिए दिशानिर्देश; (ई) जल कृषि इनपुट के अनुपालन प्रमाण पत्र के लिए दिशानिर्देश; (च) भारत में न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों और ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश और (छ) तटीय जल कृषि इकाइयों या गतिविधियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश।

20. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पुदुच्चेरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त पंजीकरण के आवेदन और पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 244 आवेदनों सहित 329 आवेदनों पर कार्रवाई की और इनपुट निर्माताओं से एंटीबायोटिक मुक्त एक्वा इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 60 आवेदन प्राप्त हुए। फर्म्स और हैचरियों के 677 दौरे किए गए और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय जिलों में सीएए दिशानिर्देशों के अनुपालन पर हितधारकों को जागरूक किया गया।

21. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी (सीआईसीईएफ) ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में चिन्नामुट्टम और कोलाचेल फिशिंग हार्बर्स (एफएच) का निर्माण पश्चात मूल्यांकन किया; समुद्री कटाव के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में पारुथियूर और कोलेनकोड गांवों का दौरा किया; केरल के त्रिशूर जिले के अझिकोड में फिश लैंडिंग सेंटर (एफएलसी) के निर्माण का तकनीकी मूल्यांकन किया गया, विझिंजम एफएच का उन्नयन, विझिंजम साउथ में आधुनिक एकीकृत एफएलसी, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में मुथलपोझी एफएच का उन्नयन और पुदुच्चेरी केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के कराईकल क्षेत्र के टी.आर. पट्टिनम में एफएलसी के विकास के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किया गया।

22. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग (सिफनेट) ने मछुआरों के आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 6 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 3 नियमित पाठ्यक्रम और 3 अल्पकालिक पाठ्यक्रम शामिल हैं, और इससे 49 उम्मीदवार लाभान्वित हुए।

23. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग (निफेट) ने 49 समुद्री मछुआरे महिलाओं/पुरुषों के लिए पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

24. मत्स्यपालन विभाग के लिए सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के तहत शिकायत निपटान 31 मार्च, 2024 तक 96% था।

***